न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—135/2018/223 (2018/00135)

1. नारायण पुत्र गोपी,
2. गणपत पुत्री गोपी,
3. दुदा पुत्र गोपी,
4. ईश्वर पुत्र गोपी,
5. श्रीमती पांची पत्नि गोपी,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम शेरगढ़, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र सुवाजी, जाति खटीक, निवासी ग्राम शरेगढ़, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 11.2.2017 अंतर्गत वाद संख्या 52/2009.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णितानुसार वादीगण की खातेदारी की आराजियात कुल किता 22 रकबा 34—11—10 ग्राम शेरगढ़, तह0 मसूदा में स्थित है । इन आराजियात में से खसरा नंबर 3123 रकबा 1—17—00 के बाबत वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जाति का होने से गैर कानूनी रूप से उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं होने के उपरांत भी वादीगण की आराजी को हड़पने की गरज से आये दिन वादीगण की खातेदारी की आराजी में दखलदांजी करता है तथा अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमांकन घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वाद आबादी

भूमि बाबत् पेश किया है इसलिये वाद का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 11.2.2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्ति। अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना वाद का खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादीगण के वाद कथनों को एवं अनुतोष को नजरअंदाज कर एवं उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि खसरा संख्या 3123 की भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण/अपीलांटस होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में कृषि आराजी के रूप में दर्ज है । अपीलांटस ने प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबदं करने बाबत् वाद पत्र पेश किया था न कि आबादी भूमि बाबत् । अधी0न्याया0 ने वादीगण के अभिवचनों को समझे बिना तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलांटस ने कृषि भूमि बाबत् ही अनुतोष चाहा है तथा कृषि भूमि बाबत् सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अधी0न्याया0 ने केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को लाभांवित करने की गरज से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि वाद किस विधि से वर्जित है । प्रतिवादी ने जो ऐतराज प्रार्थना पत्र में लिये थे उन संबंध में तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य लेने के उपरांत ही वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आर0आर0डी0 2009 पेज 244, आर0बी0जे0 1996 पेज 244, आर0बी0जे0 1998 पेज 200, आर0बी0जे0 2007 पेज 835, आर0आर0टी0 2009 पेज 62, आर0आर0टी0 2010 पेज 1336, आर0बी0जे0 2001 पेज 285, आर0बी0जे0 2009 पेज 439 डी0एन0जे0 2006 पेज 88 हाईकोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय की की आड़ में रेस्पो0 वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 14.5.2018 को दखलदांजी करने लगे तथा कहने लगे कि न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय हो गया है तब दिनांक 23.5.2018 को अभिभाषक से इस बाबत् संपर्क किया तब ज्ञात हुआ कि प्रकरण में निर्णय हो चुका है । तत्पश्चात् दिनांक 24.5.2018 को नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । वादी ने

वादपत्र में पाल की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण करने बाबत् अधी0न्याया0 के समक्ष वाद पेश किया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी का कब्जा आबादी की भूमि पर है तथा आबादी भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय को है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का भली–भांति अवलोकन कर प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.2017 को यथावत् रखरा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर